

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

-: अधिसूचना :-

अधि.सं.-03/विविध-07-49/2013.....**6408** / कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के निदेश के आलोक में विभागीय आदर्श प्रशिक्षण नीति गठित की जानी है।

इस कार्य हेतु श्री सीता कान्त झा, संयुक्त सचिव(प्रबंधन), को नोडल पदाधिकारी अभिहीत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

6408

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा रॉची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात इसकी 25 (पच्चीस) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

6408

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- राज्य कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/ वित्त विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

6408

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- श्री एन.के. बाधवा, अवर सचिव (भारत सरकार), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली/ महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

6408

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव(प्र.), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

6408

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाई पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)